दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब आगे क्या?

बीएसएनएल/एमटीएनएल संयुक्त सेवा पेंशनरों के लिए आत्ममंथन, एकता एवं सकारात्मक पहल का समय

प्रारम्भिक निवेदन

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 02 जुलाई 2026 के ऐतिहासिक निर्णय ने बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित विधिक स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक पेंशनर तथा सभी पेंशनर्स एसोसिएशन इस निर्णय का खुले मन, निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा व्यापक पेंशनर हित को सर्वोपरि रखते हुए गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें और अपनी भविष्य की रणनीति पर पुनर्विचार करें।

विगत वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में किए गए विधिक प्रयासों के परिणाम अब हमारे सामने हैं। अतः अब समय अतीत की असफलताओं पर उलझने या उन्हें प्रतिष्ठा (Prestige) का प्रश्न बनाने का नहीं है, बल्कि बदलती हुई विधिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नई, व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख दिशा अपनाने का है।

यह सर्वविदित है कि बीएसएनएल के कार्यरत कर्मचारियों के तृतीय वेतन पुनरीक्षण (3rd PRC) का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग (DoT) में अंतिम चरण में विचाराधीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण का मार्ग कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से होकर ही गुजरता है। ऐसी स्थिति में, यदि समय रहते सभी पेंशनर्स संगठन समन्वित एवं रचनात्मक प्रयास करें, तो लंबे समय से लंबित पेंशन पुनरीक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इसी उद्देश्य से यह लेख तैयार किया गया है, ताकि प्रत्येक पेंशनर तथ्यों, नियमों एवं न्यायालय के निर्णय का स्वयं अध्ययन कर विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे तथा व्यापक पेंशनर हित में ऐसा निर्णय ले, जो आने वाले समय में सभी संयुक्त सेवा पेंशनरों के लिए सकारात्मक एवं स्थायी परिणाम सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो।

भाग – I: निर्णय के आलोक में विचारणीय प्रमुख बिंदु

प्रस्तावना

दिनांक 2 जुलाई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा (Combined Service) पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 20.09.2023 के आदेश को निरस्त कर दिया।

यह निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि इसने वर्षों से चली आ रही उस विधिक बहस का भी पटाक्षेप कर दिया है कि क्या बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों को केंद्रीय वेतन आयोग (CPC)

की सिफारिशों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का अधिकार है, अथवा वे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित वेतन पुनरीक्षण समिति (PRC) की व्यवस्था से शासित होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में नियम 37A, विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों (Office Memoranda), वेतन पुनरीक्षण समितियों की सिफारिशों, भारत सरकार की नीतियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के नजीर बन चुके निर्णयों का गहन परीक्षण करने के उपरांत स्पष्ट किया है कि संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण व्यवस्था को उनके वेतन पुनरीक्षण से पृथक नहीं किया जा सकता।

वाद की पृष्ठभूमि

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) के अनेक कर्मचारी बीएसएनएल तथा एमटीएनएल में स्थायी रूप से समाहित (Absorbed) हुए थे। उनके लिए CCS (Pension) Rules के अंतर्गत Rule 37A के माध्यम से एक विशेष वैधानिक व्यवस्था बनाई गई, जिसके अनुसार वे अपनी संयुक्त सरकारी एवं बीएसएनएल सेवा के आधार पर पेंशन प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2007 में द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति (2nd PRC) लागू होने के पश्चात कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हुआ तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी आवश्यक संशोधन किया गया, ताकि पूर्व एवं पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच उत्पन्न असमानता समाप्त हो सके।

इसके पश्चात वर्ष 2017 में तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति (3rd PRC) की सिफारिशें जारी की गईं, परंतु उनके क्रियान्वयन को संबंधित सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय क्षमता एवं वहन-योग्यता (Affordability) से जोड़ दिया गया।

इसी अवधि में कुछ संयुक्त सेवा पेंशनरों ने यह दावा किया कि उन्हें भी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी ओर, भारत सरकार का लगातार यह मत रहा कि संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण का प्रश्न कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ है तथा इस विषय पर निर्णय तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति (3rd PRC) के लागू होने के पश्चात ही लिया जा सकता है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रश्न विचाराधीन थे:

1. क्या बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा (Combined Service) पेंशनरों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है?
2. क्या Rule 37A संयुक्त सेवा पेंशनरों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान अधिकार प्रदान करता है?
3. क्या पेंशन पुनरीक्षण, वेतन पुनरीक्षण से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है?

4. क्या CAT द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का निर्देश देना विधिसम्मत था?
5. क्या बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों को सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारियों के रूप में केवल PRC की व्यवस्था से ही शासित माना जाएगा?

भाग – **II: Rule 37A** का वास्तविक अर्थ एवं न्यायालय की व्याख्या

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि CCS (Pension) Rules के Rule 37A के अंतर्गत बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्थायी रूप से समाहित कर्मचारियों के लिए जो विशेष वैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, उसका दायरा सीमित है।

न्यायालय ने कहा कि बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्थायी समायोजन के पश्चात ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि संबंधित सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारी बन जाते हैं। यद्यपि उनकी पेंशन Rule 37A के अंतर्गत संरक्षित रहती है, तथापि वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में वे संबंधित सार्वजनिक उपक्रम की नीतियों एवं नियमों से ही शासित होते हैं। अतः केवल Rule 37A के आधार पर उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान सभी लाभ प्राप्त होने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय वेतन आयोग **(CPC)** एवं वेतन पुनरीक्षण समिति **(PRC)** में अंतर

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें समान नहीं हैं:

- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का निर्धारण केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
- इसके विपरीत, सार्वजनिक उपक्रमों **(PSUs)** के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण वेतन पुनरीक्षण समिति (PRC) की सिफारिशों के आधार पर होता है। PRC की सिफारिशों का क्रियान्वयन संबंधित सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय क्षमता एवं लाभप्रदता पर निर्भर करता है।

अतः न्यायालय ने यह माना कि CPC और PRC दो सर्वथा पृथक व्यवस्थाएँ हैं तथा दोनों को एक-दूसरे के स्थान पर लागू नहीं किया जा सकता।

क्या पेंशन पुनरीक्षण वेतन पुनरीक्षण से पृथक हो सकता है**?**

यह इस वाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रतिवादियों का तर्क था कि चूंकि पेंशन का व्यय भारत सरकार वहन करती है, इसलिए पेंशन पुनरीक्षण को कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन का सीधा संबंध कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन **(Last Pay Drawn)** से होता है। अतः सामान्य परिस्थितियों में वेतन संशोधन के बिना पेंशन पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी विधि अथवा

स्पष्ट सरकारी नीति द्वारा ऐसा विशेष प्रावधान न किया गया हो। न्यायालय ने कहा कि वेतन और पेंशन परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता।

द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति (2nd PRC) का महत्व

न्यायालय ने 2nd PRC के इतिहास का विस्तार से विश्लेषण किया। यह पाया गया कि वर्ष 2007 में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के पश्चात ही पूर्व-2007 पेंशनरों की पेंशन में संशोधन किया गया था, ताकि दोनों वर्गों के बीच उत्पन्न असमानता समाप्त हो सके। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 15.03.2011 का कार्यालय ज्ञापन (OM) वस्तुतः 2nd PRC की सिफारिशों को स्वीकार करने का परिणाम था, न कि 6th CPC का लाभ। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय भी पेंशन पुनरीक्षण का आधार PRC था, न कि CPC।

तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति (3rd PRC) के संबंध में न्यायालय की टिप्पणी

न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्ष 2017 में 3rd PRC की सिफारिशें जारी की गई थीं, परंतु उनका क्रियान्वयन संबंधित सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय क्षमता पर निर्भर रखा गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भारत सरकार के उस निरंतर रुख को भी स्वीकार किया कि संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का प्रश्न बीएसएनएल के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के पश्चात ही विचारार्थ लिया जाएगा।

भाग – III: दिल्ली उच्च न्यायालय ने CAT का निर्णय क्यों निरस्त किया?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश का विस्तृत परीक्षण किया और पाया कि वह विधि, नियमों तथा पूर्ववर्ती सरकारी नीतियों के अनुरूप नहीं था। न्यायालय ने इसे निरस्त करने के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण बताए:

1. **संयुक्त सेवा पेंशनर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं:** बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्थायी समायोजन (Permanent Absorption) के बाद कर्मचारी केंद्रीय सरकार की सेवा से पृथक हो जाते हैं। उनके सरकारी पद समाप्त हो जाते हैं तथा वे औद्योगिक महँगाई भत्ता (IDA) वेतनमान के अंतर्गत संबंधित सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी बन जाते हैं। अतः उन्हें 7th CPC के लाभ का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
2. **Rule 37A केवल पेंशन की सुरक्षा देता है, CPC का अधिकार नहीं:** Rule 37A का उद्देश्य संयुक्त सेवा पेंशनरों की पेंशन व्यवस्था को सुरक्षित रखना है। यह नियम कहीं भी यह अधिकार प्रदान नहीं करता कि ऐसे पेंशनरों को भविष्य में होने वाले प्रत्येक केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लाभ स्वतः प्राप्त होंगे।
3. **7th CPC केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है:** सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उन पेंशनरों पर लागू होती हैं जो भारत सरकार से प्रो-राटा पेंशन (Pro-rata Pension) प्राप्त करते हैं। संयुक्त सेवा पेंशनर इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आते।

4. पेंशन पुनरीक्षण का आधार वेतन पुनरीक्षण है: न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की कि "पेंशन, कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से जुड़ी हुई है।" अतः जब तक कार्यरत कर्मचारियों का वेतन संशोधित नहीं होगा, तब तक पेंशन संशोधन का प्रश्न भी सामान्यतः उत्पन्न नहीं होता।
5. **3rd PRC** लागू होने के बाद ही पेंशन पुनरीक्षण का प्रश्न उठेगा: सरकारी अभिलेखों और मंत्रालय के स्पष्टीकरणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने माना कि संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का मामला 3rd PRC के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के बाद ही विचारार्थ लिया जा सकता है।
6. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की व्याख्या: प्रतिवादियों द्वारा 'डी. एस. नकारा' सहित अनेक निर्णयों पर भरोसा जताया गया था, किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वे निर्णय विशिष्ट तथ्यों पर आधारित थे और उन्हें बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों के मामले में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ Rule 37A और PSU की अलग वैधानिक संरचना लागू होती है।

न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष

- संयुक्त सेवा पेंशनरों को 7th CPC के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- Rule 37A अथवा किसी पूर्ववर्ती कार्यालय ज्ञापन से ऐसा कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
- पेंशन पुनरीक्षण का प्रश्न कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

भाग – **IV:** पेंशनरों के लिए भावी रणनीति और विचारणीय बिंदु

इस ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात अब निम्नलिखित तथ्य और आगे की राह पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है:

1. विधिक स्थिति का स्पष्ट होना: संयुक्त सेवा पेंशनर तकनीकी रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। उनकी पेंशन Rule 37A द्वारा सुरक्षित अवश्य है, किन्तु पुनरीक्षण के मामले में वे सार्वजनिक उपक्रम (PSU) की व्यवस्था से ही शासित होते हैं।
2. **7th CPC** के दावे का अंत: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण की मांग को न्यायालय ने विधिक रूप से अमान्य कर दिया है।
3. **3rd PRC** की केंद्रीय भूमिका: चूँकि न्यायालय ने माना है कि पेंशन पुनरीक्षण का आधार वेतन पुनरीक्षण ही है, इसलिए कार्यरत कर्मचारियों के लिए 3rd PRC के अनुसार वेतन संशोधन का विषय अब पेंशनरों के लिए भी जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है।
4. प्राथमिकता में बदलाव (अदालत नहीं, प्रशासनिक प्रयास): उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब समय न्यायालयी संघर्ष में संसाधन और समय गंवाने का नहीं है। अब सभी संगठनों को अपना पूरा ध्यान दूरसंचार विभाग (DoT) के समक्ष 3rd PRC के शीघ्र क्रियान्वयन पर केंद्रित करना होगा।

सभी पेंशनर्स संगठनों के नाम आह्वान

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय ने विधिक स्थिति का जो खाका खींचा है, वह हमें एकजुट होने का संदेश देता है। अब समय आ गया है कि देश की सभी बीएसएनएल/एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशनें अपने आपसी मतभेदों और आक्षेपों से ऊपर उठकर एक सुर में दूरसंचार विभाग (DoT) से आग्रह करें कि:

बीएसएनएल बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुशंसित एवं प्रेषित तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति (3rd PRC) के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को बिना किसी विलंब के अंतिम रूप देकर स्वीकृति प्रदान की जाए।

कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का निर्णय होने पर ही संयुक्त सेवा पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए यह केवल कार्यरत कर्मचारियों का विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक पेंशनर के अस्तित्व और भविष्य से जुड़ा हुआ साझा एजेंडा है। अतः सभी पेंशनर्स संगठनों का यह नैतिक एवं सामूहिक दायित्व है कि वे संगठनात्मक मतभेदों को भुलाकर इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संयुक्त एवं प्रभावी प्रयास करें।

निष्कर्ष

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय केवल एक मुकदमे का अंत नहीं है, बल्कि इसने बीएसएनएल/एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनरों के भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर दी है। अब आवश्यकता अनावश्यक कानूनी बहसों की नहीं, बल्कि सकारात्मक, संगठित एवं परिणामोन्मुख प्रयासों की है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों के 3rd PRC के अनुसार वेतन पुनरीक्षण तथा उसके परिणामस्वरूप पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण का मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो सके।

"एकता में शक्ति है, समन्वय में सफलता है, और समय पर लिया गया सही सामूहिक निर्णय ही भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।"

यह लेख किसी संगठन विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि समस्त बीएसएनएल/एमटीएनएल संयुक्त सेवा पेंशनरों के व्यापक हित में विचारार्थ विनम्रतापूर्वक समर्पित है।

संकलन एवं प्रस्तुति:

दिनेश डी. मिस्त्री

05.07.2026